

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2018/07-CM/ Unst. 102 /842  
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI  
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)  
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 05.06.2018

To

Shri Mahendra Gupta  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Un-starred Question No. 102 due for  
07.06.2018 asked by Shri Om Prakash Sharma, MLA.**

Sir,

Please refer to your letter no. F. 11(B-I)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch/  
dated 28.05.2018 on the above quoted subject.

I am directed to forward herewith the reply of the aforementioned Vidhan  
Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the Hon'ble Minister of Water, Govt. of  
NCT of Delhi.

Encl: As above.


sd/-  
(Paras Ram)

Director (Admn. & Personnel)

Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. Secretary to CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Director (A&P), Delhi Jal Board.
5. **CNO(W), DJB.**
6. Dy. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
7. Office Copy.

  
Director (Admn. & Personnel)

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 102

दिनांक :- 07.06.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री ओम प्रकाश शर्मा, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अक्र	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से बोरवेलों, ट्यूबवैलों, हैंडपम्पों इत्यादि को सील अथवा बन्द किया जा रहा है ;	क) एवं ख) माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण (NGT) के आदेश दिनांक 31.01.2018 एवं 20.03.2018 कार्यालय आदेश संख्या 496/2016 के अनुसार क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमिगत जल की गुणवत्ता पीने योग्य नहीं है अतएव बोर-वेल, ट्यूबवेल्ल्स एवं हैंडपम्पों की सील करने की कार्यवाही की जा रही है ।
(ख)	इनके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं;	
(ग)	जिन क्षेत्रों में ये स्रोत बन्द किये जा रहे हैं, वहाँ पर सरकार ने जलापूर्ति की क्या व्यवस्था करी है;	ग से च
(घ)	क्या इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है;	मामला संख्या 0A 496/2016 के सन्दर्भ में माननीय राष्ट्रीय प्राधिकारण के दिनांक 31.01.2018 आदेशानुसार नार्थ वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार, जनकपुरी, रोहिणी सैक्टर -11 एवं 28, बरवाला, निजामपुर, औचन्दी एवं आस-पास के क्षेत्र हैं , इन चिन्हित क्षेत्रों में जलापूर्ति पहले से उपलब्ध है तथा आवश्यकतानुसार पानी के टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।
(ङ)	यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों के नाम बताएं; और	
(च)	क्या ऐसे क्षेत्रों में पर पानी के टैंकर नियमित रूप से भिजवाए जा रहे हैं ?	

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
पारस राम  
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)  
Director (A&P)